

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर

तारीख रजू

तारीख निर्णय

59/2010

02.08.2010

30/3/2024

1. मूर्ति मंदिर श्री गंगाजी महाराज शाश्वत नाबालिग विराजमान गंगापुर सिटी
जरिए वादमित्र मदनमोहन पुत्र जगदीश प्रसाद जाति सैन निवासी मुनीम पाडा,
गंगापुर सिटी —प्रार्थी

बनाम

1. श्रीधर पुत्र बदरीलाल, ब्राह्मण निवासी नहर रोड, गंगापुर सिटी
2. मुन्नालाल पुत्र स्व. गंगासहाय, ब्राह्मण (गंगाजी के मंदिर वाले) निवासी
जैमिनी आटा चक्की के सामने, मूर्ति मौहल्ला, गंगापुर सिटी (नाम हजफ)
3. कैलाशचंद पुत्र स्व. गंगासहाय, ब्राह्मण (गंगाजी के मंदिर वाले) निवासी
जैमिनी आटा चक्की के सामने, मूर्ति मौहल्ला, गंगापुर सिटी
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
5. रामनारायण उर्फ रूपनारायण पुत्र रघुनाथ, महाजन, गंगापुर सिटी
6. बजरंगलाल पुत्र रामसहाय, महाजन गंगापुर सिटी —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रिसीवरी

उपस्थित :- श्री शिवचरण शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अप्रार्थी संख्या 5,6 की ओर से

श्री रामदयाल त्रिवेदी, एड. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से

श्री बृजनंदन दीक्षित, एड. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र रिसीवरी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खसरा नम्बर 298/1144 रकबा 44 एयर ग्राम मिर्जापुर मे स्थित है जो प्रार्थी मूर्ति की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 मूर्ति के पुजारी है जो मूर्ति की सेवा पूजा, सुरक्षा तथा काश्त व्यवस्था इनके दायित्वाधीन है। अप्रार्थी संख्या 4 भूधारक होने की वजह से दायित्वाधीन है। उक्त वर्णित मूर्ति की कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व उसके अन्य सहयोगियो ने जबरन कब्जा कर लिया है। यह भूमि नगरीय आवासीय के मध्य आ जाने के कारण इसे भूखंडो की शक्ल मे विक्रय कर इस पर आबादी का निर्माण करना चाहते है। जिससे प्रार्थी मूर्ति के हितो पर विपरित प्रभाव पडेगा। प्रार्थी मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसक जायदाद किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी रूप मे ना तो अंतरित की जा सकती है और ना ही खुर्द बुर्द की जा सकती है। प्रार्थी मूर्ति का वादमित्र है एवं मूर्ति के हितार्थ यह वादपत्र प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से सक्षम है। दिनांक 6.7.2010 को जब प्रार्थी वादमित्र वादग्रस्त भूमि पर पहुचा तो देखा कि अप्रार्थी संख्या 1 व उसके सहयोगी उपरोक्त वर्णित भूमि को जबरन नष्ट कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी

Om
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

(2)


मूर्ति के हितार्थ भूमि की सुरक्षार्थ भूमि ख0न0 298/1144 रकबा 44 एयर ग्राम मिर्जापुर को रिसीवरी मे लिया जाकर काश्त व्यवस्था करवायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र रिसीवरी प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थी मूर्ति की भूमि की देखरेख एवं सार संमाल का एकमात्र अधिकारी मूर्ति के पुजारीगण अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को ही है अन्य किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी मूर्ति की भूमि को खुर्द बुर्द नहीं कर रहे है यदि अप्रार्थी द्वारा भूमि को खुर्द बुर्द की जाती तो निश्चय ही अप्रार्थी संख्या 2, 3 कोई कार्यवाही करते। जबाब के विशेष विवरण मे अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ही उक्त मूर्ति के सरंक्षक व पुजारी है तथा कथित वादमित्रों ने मूर्ति का हितग्राही अंकित करते हुए यह वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। रिसीवरी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि एवं अन्य भूमि ख0न0 298/1144, 41/1143, 61/1145, 322, 933, 934, 935, 936 मूर्ति मंदिर गंगाजी महाराज जी की ग्राम मिर्जापुर मे और भी स्थित है। मूर्ति की सेवा पूजा एवं भूमि की काश्त व्यवस्था मिन जबाबदारान द्वारा ही की जाती है। मिन जबाबदारान ही भूमि की सेवा करते है तथाकथित वादमित्र को यह मुकदमा पेश करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। यदि भूमि को रिसीवरी मे ली जाती है तो इससे अप्रार्थीगण को ही क्षति होगी। भूमि पर किसी अन्य का कोई कब्जा नहीं है। इसलिए उन्हे बेदखली का प्रश्न नहीं है। मिन जबाबदारान पूर्ण निष्ठा व आस्था से मंदिर मूर्ति श्री गंगाजी महाराज की सेवापूजा कर रहे है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र रिसीवरी खारिज फरमायी जावे।

अप्रार्थी संख्या 5, 6 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि भूमि ख0न0 298/1144 रकबा 0.44 है0 से मूर्ति मंदिर श्री गंगाजी महाराज का, अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 का कोई वास्ता नहीं है। ये लोग येनकेन प्रकारेण भूमि पर विवाद उत्पन्न कर भूमियों को हडपना चाहते है। संवत 2003 मे मूर्ति मंदिर श्री गंगाजी महाराज की खातेदारी भूमि ख0न0 361 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 362 रकबा 2 बिस्वा ग्राम मिर्जापुर मे स्थित थी। जिस पर खुदकाश्त जगन पुत्र अमरचंद गुर्जर निवासी मिर्जापुर एवं उसके बुजुर्गों की रही है। संवत 2010 मे भूमि ख0न0 361 व 362 को जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत राज्य सरकार द्वारा भूमि का खालसा दर्ज कर भूमि उपकृषक जगन पुत्र


उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

(3)

अमरचंद के नाम खातेदारी मे दर्ज कर दी। एकीकरण मे इस भूमि के नये नम्बर 157/1 व 156 कायम किये गये है। जिसकी खातेदारी जगन पुत्र अमरचंद के नाम दर्ज होकर आयी है। जगन पुत्र अमरचंद ने भूमि ख0न0 157/1, 156 जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.9.73 को रघुनाथ पुत्र बदरीलाल, ताराचंद पुत्र रघुनाथ रामसहाय पुत्र बदरीलाल, श्रीमती शंकुन्तला पत्नी कैलाशचंद के हक मे विक्रय कर दी एवं भूमि पर कब्जा संमला दिया। वर्तमान मे भूमि साबिक ख0न0 157/1 व 156 के नवीन नम्बर 298/1144 रकबा 0.44 है0 कायम किए गए हैं जिसे भू-प्रबन्ध विभाग वालों ने बिना किसी अधिकार के भूमि को मंदिर श्री गंगाजी महाराज की खातेदारी में दर्ज कर दिया जिसका मिन जबाबदारान को कोई पता नहीं चला। पता चलने पर मिन जबाबदारान ने इन्द्राज दुरुस्ती का वादपत्र रूपनारायण बनाम लैण्ड होल्डर प्रस्तुत कर दिया जो वर्तमान में भी विचाराधीन है। इसी प्रकार प्रार्थी के अन्य साथियो ने एक मुकदमा अशोक कुमार बनाम रूपनारायण के नाम से इसी भूमि के बाबत अन्य दावा अदालत हाजा में पेश कर रखा है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिसीवरी खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र रिसीवरी के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2065 से 2068 प्रस्तुत की है।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए रिसीवरी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि को कब्जे राज मे लेकर काश्त व्यवस्था करवाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे कहा कि वादग्रस्त भूमि सम्बत् 2003 में खालसा होकर इसकी खातेदारी उप कृषक जगन गुर्जर के नाम दर्ज हो गई थी एवं उक्त खातेदार जगन गुर्जर ने यह भूमि दिनांक 29.9.73 को रघुनाथ पुत्र बदरीलाल, ताराचंद पुत्र रघुनाथ रामसहाय पुत्र बदरीलाल, श्रीमती शंकुन्तला पत्नी कैलाशचंद के हक मे विक्रय कर दी एवं भूमि पर कब्जा संमला दिया। वर्तमान मे भूमि साबिक ख0न0 157/1 व 156 के नवीन नम्बर 298/1144 रकबा 0.44 है0 कायम किए गए हैं जिसे भू-प्रबन्ध विभाग वालों ने बिना किसी अधिकार के भूमि को मंदिर श्री गंगाजी महाराज की खातेदारी में दर्ज कर दिया जिसका मिन जबाबदारान को कोई पता नहीं चला। पता चलने पर मिन जबाबदारान ने इन्द्राज दुरुस्ती का

(4)

वादपत्र रूपनारायण बनाम लैण्ड होल्डर प्रस्तुत कर दिया जो वर्तमान में भी विचाराधीन है। मौके पर कभी गंभीर स्थिति भी पैदा नहीं हुई है। गंभीर विवाद सम्बन्धी कोई दस्तोवज भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा है एवं भूमि का ट्रांसफर भी नहीं किया जा रहा है। प्रार्थीगण का केस रिसीवर नियुक्त किये जाने बाबत नहीं बनता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रिसीवरी खारिज फरमाया जावे।


बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान में मंदिर श्री गंगाजी की खातदारी में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की ओर से प्रस्तुत जबाब एवं वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार यह भूमि पूर्व में जगन बल्द अमरचंद गुर्जर की खातदारी में दर्ज रही है एवं जगन बल्द अमरचंद गुर्जर द्वारा इसका विक्रय अप्रार्थी संख्या 5, 6 के बुजुर्गों को किया गया है। उसके अनुसार ही अप्रार्थीगण भूमि पर वर्तमान में काबिज चले आ रहे हैं। भूमि को रिसीवरी में लेने के लिए आवश्यक बिन्दु भूमि को वेस्ट, डेमेज, एलिनियेट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी ने भी इस तरह का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया है जिससे यह ज्ञात होता हो कि अप्रार्थीगण द्वारा भूमि को वेस्ट, डेमेज या एलिनियेट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भूमि को रिसीवरी में लिया जाना न्यायोचित नहीं है। चूँकि भूमि मंदिर के नाम खातेदारी में दर्ज है ऐसी स्थिति में भूमि की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो इसलिए हम अप्रार्थीगण को भूमि की वर्तमान स्थिति यथावत बनाए रखने के लिए पाबंद करना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिसीवरी खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख0न0 298/1144 रकबा 44 एयर ग्राम मिर्जापुर की मौके की स्थिति यथावत बनाए रखें।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 30/3/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(बृजेंद्र मीना)
उप जिला कलक्टर
उपखण्ड गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी (राज०)